

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2012—पौष 22, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ-बी-1-54-2011-2-पांच(1).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (21) के स्थान पर, निम्नलिखित स्पिरिट खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(21) “परिशुद्ध स्पिरिट” (रेक्टिफाइड स्पिरिट) से अभिप्रेत है 66 डिग्री या उससे अधिक ओवर प्रूफ की शक्ति का अविकृत सादा स्पिरिट और उसमें अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल तथा शुद्ध अल्कोहल (एब्सोल्यूट अल्कोहल) सम्मिलित है;”

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. बी-1-54-2011-2-पांच (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-54-2011-2-पांच (1), दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th January 2012

No. F-B-1-54-2011-2-V(1).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, for clause (21), the following clause shall be substituted, namely :—

“(21) “Rectified Spirit” means plain un-denatured spirit of strength of 66 degrees or more over proof and includes Extra Neutral Alcohol and Absolute Alcohol;”.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ-बी-1-54-2011-2-पांच(2).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश परिशुद्ध स्पिरिट नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-1 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) “परिशुद्ध स्पिरिट” से अभिप्रेत है 66 डिग्री या उससे अधिक ओवर प्रूफ की शक्ति का अविकृत सादा स्पिरिट और उसमें अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल तथा शुद्ध अल्कोहल (एब्सोल्यूट अल्कोहल) सम्मिलित है;”.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. बी-1-54-2011-2-पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-54-2011-2-पांच (2), दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th January 2012

No. F-B-1-54-2011-2-V(2).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following

amendment in the Madhya Pradesh Rectified Spirit Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule I, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

- “(a) “Rectified Spirit” means plain un-denatured spirit of strength of 66 degrees or more over proof and includes Extra Neutral Alcohol and Absolute Alcohol;”.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.